रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/95 REGISTERED No. DL—33001/95

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30, 1995 (आश्विन 8, 1917)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 1995 (ASVINA 8, 1917)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं . 847

भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं 923

भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं . . . 15

भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं 1261

भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . *

भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . . *

भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . . *

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) *

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . . *

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) . *

भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश *

भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचना 911

भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . . . 819

भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अन्य द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं --

भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं। 1833

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 137

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को बताने वाला अनुपूरक *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	847
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	923
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	15
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1261
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .	911
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	819
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1831
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	137
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय

नई दिल्ली–110003, दिनांक 5 सितम्बर 1995

संकल्प

सं० ए/33011/ 1/94/जी० पी० डी०–1—जनसंख्या में वृद्धि तथा औद्योगिक गतिविधियों सहित बढ़ते शहरीकरण के कारण हमारे जल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के परिणाम-स्वरुप अधिकांश जल संसाधनों की आत्मसात करने तथा स्वशुद्धिकरण की क्षमता में कमी आई है ।

2. नदी प्रदूषण के दो प्रमुख बिन्दु स्रोत म्युनिसिपल अपशेष जल और औद्योगिक बहि:स्राव हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार नगरीय म्युनिसिपल निकायों से लगभग 12000 मिलियन मीटर प्रतिदिन (एम० एल० डी०) अपशेष जल तथा प्रमुख औद्योगिक इकाइयों से लगभग 2100 एम० एल० डी० औद्योगिक बहि:स्राव उत्पन्न होता है। यद्यपि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत उद्योगों से यह अपेक्षित है कि उनके उद्योगों द्वारा निस्तारित बहि:स्राव का संमिश्र निर्धारित मानदन्डों को पूरा करे तथापि नगरों और कस्बों के घरेलू सीवेज के उपचार की जिम्मेदारी संबंधित नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं राज्य सरकारों की होती है। इनके साथ ही नदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा नदियों के अस्वास्थ्यकर प्रयोग एवं खेतों से बहकर आने वाली पीड़कनाशी अप्रवाह हमारी नदियों में गैर–बिन्दु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है।

देश की प्रमुख नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों की सफाई के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के रूप में एक महत्वपूर्ण शुरूआत की गई है। इसमें स्थानीय निकायों औद्योगिक इकाइयों, राज्य/केन्द्रीय एजेंसियों तथा गैर-सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी एजेंसियों जैसे अनेक संगठनों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है । इसलिए विभिन्न स्तरों पर समन्वित कार्रवाई के लिए एक उपर्युक्त तंत्र की आवश्यकता है। नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संयुक्त रूप से नीतियों तथा कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को प्रमुख भूमिका निभानी होगी।

4. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का उद्देश्य प्रदूषण निवारण स्कीमों के कार्यान्वयन के माध्यम से तथा बिन्दु एवं गैर–बिन्दु दोनों स्रोतों से होने वाले नदी प्रदूषण निवारण में जनता को भागीदारी प्राप्त करके नदियों की जल गुणवत्ता में सुधार लाना है ।

5. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की नीति रूपरेखा को अन्तिम रूप देने तथा इसके कार्यान्वियन पर नजर रखने के लिए भारत सरकार एक राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन करती है। इस प्राधिकरण में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :–

1. प्रधान मंत्री	—	अध्यक्ष
2. केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री	—	उपाध्यक्ष
3. उपाध्यक्ष, योजना आयोग	—	सदस्य
4. केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री	—	सदस्य
5. केन्द्रीय शहरी विकास एवं रोजगार मंत्री		सदस्य
6. संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्री	—	सदस्य
7. प्रत्येक शामिल राज्यों का एक संसद सदस्य		सदस्य
8. पर्यावरण के क्षेत्र में तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञ	—	सदस्य
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन	—	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय नदी संरक्षण की 6 माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित की जाएगी ।

6. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के निम्नलिखित कार्य होंगे :–

(1) उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त नीतियां एवं कार्यक्रम (दीर्घ अवधि एवं अल्प अवधि) तैयार करना, बढ़ावा देना एवं अनुमोदन करना ।

(2) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की वरीयताओं की जांच करना तथा उसका अनुमोदन करना ।

(3) आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाना ।

(4) अनुमोदित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा करना तथा संचालन समिति को आवश्यक निर्देश देना, और

(5) उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यथा आवश्यक सभी उपाय करना ।

7. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की संचालन समिति का भी सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठन किया जाता है । इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

1.	सचिव (पर्यावरण एवं वन)	अध्यक्ष
2.	सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
3.	सचिव, शहरी विकास एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
4.	सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य
5.	सचिव, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
6.	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
7.	संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव	सदस्य
8.	सलाहकार, योजना आयोग	सदस्य
9.	संयुक्त, सचिव, भूतल परिवहन मंत्रालय	सदस्य
10.	संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय (उर्वरक प्रभाग)	सदस्य
11.	संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
12.	संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
13.	संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय)	सदस्य
14.	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
15.	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
16.	सलाहकार सी० पी० एच० ई० ई० ओ०, शहरी विकास एवं रोजगार मंत्रालय	सदस्य
17.	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, भारत सरकार	सदस्य
18.	महानिदेशक, भारतीय औषधी अनुसंधान परिषद	सदस्य
19.	निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान नागपुर ।	सदस्य
20.	5 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों के निदेशक	सदस्य
21.	मत्स्यपालन, औद्योगिक अपशेष उपचार, सीवेज निपटान, लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरी एवं जल गुणवत्ता प्रबंध के क्षेत्र से 5 विशेषज्ञ (जिनमें से कम से कम 3 गैर-सरकारी क्षेत्र से हों)	सदस्य
22.	अपर सचिव एवं परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	सदस्य

संचालन समिति की 3 माह में कम से कम से एक बार बैठक होगी ।

9. राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की संचालन समिति के कार्य वही होंगे जो गंगा कार्य योजना की संचालन समिति के हैं । यह कार्य नीचे दिए गए हैं :—

(1) अभिनिर्धारित नदियों की जल गुणवत्ता में सुधार के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार करना और उन्हें बढ़ावा देना, योजना कार्यक्रम और परियोजनाएं तैयार करना ।

(2) अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुरूप विशिष्ट परियोजनाओं का अनुमोदन करना ।

(3) अनुमोदित कार्यक्रम और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों को उपलब्ध निधियों का आबंटन करना ।

(4) संबंधित एजेंसियों के माध्यम से जल गुणवत्ता निगरानी कार्य प्रायोजित करना ।

(5) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के उद्देश्यों से संबद्ध अध्ययन कार्य प्रायोजित करना ।

(6) विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण और निगरानी करना और कार्यान्वयन एजेंसियों को आवश्यक निर्देश देना ; और

(7) कार्य योजना के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण को सूचित करना और उसके निर्देश प्राप्त करना ।

10. राज्य स्तर पर —राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही राज्य में परियोजनाओं के लिए सभी आवश्यक ढांचे तैयार करने, शीघ्र कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए परियोजना में शामिल प्रत्येक राज्य का सहयोग प्राप्त किया जाएगा ।

11. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण और संचालन समिति का खर्च वहन करेगा ।

12. राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण और संचालन समिति के गैर-सरकारी सदस्य, भारत सरकार के नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे ।

आदेश है

आदेश है कि संलग्न सूची के अनुसार संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए ।

यह भी आदेश है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

जे० सी० काला,
संयुक्त सचिव,

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 11 अगस्त 1995

संकल्प

सं० 4-23/84-मशी० (आई० एण्ड पी०) खण्ड-2—कृषि और सहकारिता विभाग के दिनांक 24 मई, 1994 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में, भारत सरकार निम्नलिखित को केन्द्रीय कृषि मशीनरी तथा उपकर विकास परिषद में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में तत्काल प्रभाव से 23 मई, 1997 तक नियुक्त करती है :—

(1) श्री मीर सिंह चौधरी,
ताम्बी पैट्रोल पम्प के पास,
सीकर रोड संख्या 1,
जयपुर-302013, (राजस्थान) ।

(2) श्री महेन्द्र शास्त्री,
40 मोती डूंगरी,
अलवर (राजस्थान) ।

2. सर्वश्री मीर सिंह चौधरी और महेन्द्र शास्त्री को यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की अदायगी कृषि और सहकारिता विभाग के बजट प्रावधानों में से समूह "क" के अधिकारियों को दिए जाने वाले भत्तों के अनुसार की जाएगी।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत सरकार के मंत्रालयों के विभागों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को प्रेषित की जाए ।

2. यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में सार्वजनिक सूचना के लिए भी जारी किया जाए ।

एस० के० मल्होत्रा,
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 1995

संकल्प

विषय :—राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के लिए विशेषज्ञ समिति की स्थापना करने के सम्बन्ध में अधिसूचना ।

सं० एफ०-27-22/94-पु० :—विशेषज्ञ समिति के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि एतद्द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 1995 तक बढ़ाई जाती है ।

अशोक वाजपेयी,
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक अगस्त 1995

संकल्प

सं० एफ० 23-2/ 95-96-समन्वय—राष्ट्रपति, "हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण व विकास के लिए वित्तीय सहायता" नामक योजनागत स्कीम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में दिनांक 31 अक्तूबर, 1991 के संकल्प सं० एफ० 8-1/91- सो० एस० यू० के तहत गठित विद्यमान विशेषज्ञ समिति को तत्काल प्रभाव से सहर्ष पुनर्गठित करते हैं, ताकि वह सरकार को अपनी कार्य-शर्तों के अन्तर्गत सुझाव दे सके ।

2. इस पुनर्गठित समिति की संरचना अब निम्नानुसार होगी :—

1. श्रीमती कोमल आनंद, — अध्यक्ष
संयुक्त सचिव,
संस्कृति विभाग ।

2. श्री पी० के० भट्टाचार्य, — सदस्य
पूर्वांचल सांस्कृतिक केन्द्र,
2 लारकिन लेन,
कलकत्ता-700062
(पश्चिम बंगाल) ।

3. श्री एस० के० अहलूवालिया, — सदस्य
निदेशक,
उत्तरांचल सांस्कृतिक केन्द्र,
शीश महल, पटियाला-147001,
(पंजाब) ।

4. श्री जे० पी० राय, — सदस्य
निदेशक
उत्तर मध्यांचल सांस्कृतिक केन्द्र,
14, सी० एस० पी० सिंह रोड़,
इलाहाबाद-211001,
(उत्तर प्रदेश) ।

5. श्री वी० सी० ओहरी, — सदस्य
पूर्व निदेशक,
हिमाचल प्रदेश संग्रहालय,
शिमला, (हिमाचल प्रदेश) ।

6. श्री मोहन उपरेती, — सदस्य
पर्वतीय कला केन्द्र,
110, एशिया हाउस,
नई दिल्ली ।

7. श्री एम० सी० जोशी, निदेशक (वित्त), संस्कृति विभाग । — सदस्य
8. श्रीमती जनक नंदा, एस० 174, पंचशील पार्क, नई दिल्ली–110017. — सदस्य
9. श्री परमजीत सिंह, जी–1341, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली । — सदस्य
10. श्री रविकान्त चोपड़ा, निदेशक, संस्कृति विभाग । — सदस्य सचिव

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :—

"हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण व विकास के लिए स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों, संस्थाओं, सोसायटियों विश्वविद्यालयों, कालेजों, व्यक्तियों को वित्तीय सहायता की केन्द्रीय स्कीम के कार्यान्वयन पर सरकार को सुझाव देना ।"

4. प्रारम्भ में, गैर:सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों की अवधि का होगा ।

5. समिति आवश्यकतानुसार अपनी बैठकें आयोजित करेगी ।

6. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता एस० आर० 190 के उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत, समय-समय पर जारी सरकार के आदेशों के अनुसरण में प्रदान किया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्रों को भेज दी जाए तथा इस अधिसूचना को जन-साधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

कोमल आनंद,
संयुक्त सचिव

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 1995

सं० एफ ९-133/93/टी० डी० 1/टी० एस० II—मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मद्रास बम्बई, कलकत्ता तथा कानपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को उनकी सभी परिसम्पत्तियों सहित मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) की सांविधिक स्वायत्त संस्थान, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली में 1 अक्तूबर 1995 से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है ।

इन क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों स्थानांतरण तथा अन्य सेवा सम्बन्धी शर्तों का नियंत्रण कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों द्वारा किया जायेगा ।

प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय की परिसम्पत्तियों की सूची 30 सितम्बर 1995 तक तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें (1) सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (2) उप शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) मानव संसाधन विकास मंत्रालय और (3) समेकित वित्त प्रभाग (मा० स० वि० मंत्रालय) के एक प्रतिनिधि शामिल होंगे और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को परिसम्पत्तियों के स्थानांतरण के लिए सरकार का निर्णय अलग से जारी किया जायेगा ।

डी० पी० अग्रवाल,
संयुक्त शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली–110003 दिनांक 24 अगस्त 1995

संकल्प

सं० 47/6/89–एफ० सी०/जे० आर० सी०/1762—गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित इस मंत्रालय के दिनांक 18 अप्रैल, 1972 की संकल्प संख्या एफ० सी०–47/2/72 के उप पैरा–2 में दिनांक 31 अक्तूबर, 1990 के संकल्प संख्या 47/16/78–एफ० सी० के द्वारा किया गया था उसमें निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किये जाएं :

1. केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री — अध्यक्ष
2. केन्द्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री — सदस्य (केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अनुपस्थिति में अध्यक्ष)
3. केन्द्रीय वित्त मंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि — सदस्य
4. केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि — सदस्य
5. केन्द्रीय रेल मंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि — सदस्य
6. केन्द्रीय कृषि मंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि — सदस्य
7. सदस्य योजना आयोग — सदस्य
8. बिहार के मुख्यमंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि — सदस्य
9. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि — सदस्य

10. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
11. हरियाणा के मुख्यमंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
12. राजस्थान के मुख्यमंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
13. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
14. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
15. दिल्ली के मुख्यमंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
16. अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	सदस्य-सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री, योजना, रेल, कृषि, भूतल परिवहन, योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के सैनिक सचिव तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को भेज दी जाए।

आर० एस० प्रसाद
आयुक्त (पूर्वी नदिया)

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

NATIONAL RIVER CONSERVATION DIRECTORATE

New Delhi-110 003, the 5th Septtmber 1995

RESOLUTION

No. A-33011/1/94-GPD-I.—The growing population and increasing urbanisation coupled witn industrial activities have resulted in over exploitation of our water resources ultimately reducing the assimilative and self purifying capacity of most of the water courses.

2. The two major point sources of pollution of rivers are municipal waste water and industrial effluents. According to a study conducted by the Central Pollution Control Board, the urban municipal bodies generate about 12,000 million litres per day (mid) of waste water whereas the major industrial units put together produce about 2.100 mld of industrial effluents. While industry is required under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Environmental Protection Act, 1986 to ensure that the composition of their effluent discharge satisfies the prescribed standards; the responsibility of treating domestic sewage of cities and towns lies with the concerned municipal coporations and municipalties and State Governments. Further, unhygenic uses of rivers by the populations living on river banks and run-off from agricultural fields carrying pesticide loads constitute significant non-point sources of pollution of our rivers.

3. A major initiatative to clean up the polluted stretches of important rivers of the country has been taken by the Government in the shape of the National River Conservation Plan (NRCP). This needs involvement of many organisations like local bodies, industrial units, State/Central Agencies and the NGO's/VAs. An appropriate mechanism is, therefore, nesessary for coordinated action at various levels. The concerned State Governments will have to assume a major role in jointly devising the policies and programmes to depollute the rivers.

4. The objective of the NRCP is to improve the water quality of the rivers through implementation of pollution abatement schemes and by enlisting people's cooperation in abating the pollution of river waters caused by both point and non-point sources.

5. To finalise the policy frame-work and oversee the implementation of NRCP, the Government of India do hereby set up a National River Conservation Authority (NRCA). The Authority will have the following composition :

Chairman

(i) Prime Minister

Vice Chairman

(ii) Union Minister, Environment & Forests

Members

(iii) Dy. Chairman, Planning Commission

(iv) Union Minister, Water Resources

(v) Union Minister, Urban Development & Employment

(vi) Chief Ministers of the concerned States

(vii) One Member of Parliament from each involved State

(viii) Three eminent experts in the field of Environment

Member Secretary

(ix) Secretary, Environment and Forests

The NRCA will meet at least once every six months.

6. The functions of the NRCA shall be the following :

(i) To lay-down, promote and approve appropriate policies and programmes (long and short term) to achieve the objectives.

(ii) To examine and approve the priorities of the National River Conservation Plan

(iii) To mobilise necessary financial resources.

(iv) To review the progress of implementation of approved programmes and give necessary directions to the Steering Committee; and

(v) To take all such measures as may be necessary to achieve the objectives.

7. The Steering Committee of the National River Conservation Plan is also hereby constituted under the Chairmanship of the Secretary, Ministry of Environment & Forests, Government of India. Its membership will consist of the following :

Chairman

1. Secretary (E & F)

Members

2. Secretary, Ministry of Water Resources, GOI

3. Secretary, Ministry of Urban Development & Employment

4. Secretary, Department of Expenditure, M/O Finance

5. Secretary, Ministry of Non-Conventional Energy Sources, Govt. of India

6. Secretary, Ministry of Science & Technology, GOI

7. Chief Secretaries of the concerned States

8. Advisor, Planning Commission

9. Joint Secretary, Ministry of Surface Transport

10. Joint Secretary, Ministry of Agriculture (Fertiliser Division)

11. Joint Secretary, Industrial Development, Ministry of Industries, Govt of India

12. Joint Secretary, Ministry of Power, Govt. of India

13. Joint Secretary and Financial Advisor, (MOEF)

14. Chaiman, Central Pollution Control Board

15. Chairman, Central Water Commission

16. Advisor, CPHEEO, M/o Urban Development & Employment

17. Director General, Health Services, Govt. of India

18. Director General, Indian Council of Medical Research

19. Director, NEERI, Nagpur.

20. Directors of 5 IITs

21. 5 Experts (at least 3 of whom shall be non-governmental) in Pisciculture, Industrial Waste Treatment, Sewage Disposal, Public Health Engineering & Water Quality Management).

22. Addl. Secretary and Project Director, NRCD—Member Secy.

The Steering Committee shall meet at least once in three months.

9. The functions of the Streering Committee of the NRCA are proposed to be similar to those of the Streering Committee for the Ganga Action Plan (GAP) These are as below :—

(i) To evolve and promote appropriate policies, prepare Plan Programmes and projects for improving water quality of the identified rivers

(ii) Aprove specific projects according to the approved Annual Plan.

(iii) Allocate available funds to various agencies for implementing the approved programmes and projects.

(iv) Sponsor water qulity monitoring through concerned agencies.

(v) Sponsor studies relevant to the objectives of the NRCP.

(vi) Oversee and monitor the implementation of various programmes/projects and give necessary directions to the implementing agencies; and

(vii) Report to the NRCA the progress of the implementation of the Action Plan and seek its directions.

10. Cooperation of each of the involved state would be enlisted to ensure creation of all necessary structure for formulation, expeditious implementation and management of projects within their States for furtherence of the objectives of the NRCP at the State level.

11. The NRCA and the Steering Committee will be serviced by the National River Concervation Directorate, Ministry of Environment and Forests.

12. The non-official members of the NRCA and the Streering Committee shall be entitled to travelling and daily allowance as per the Government of India rules.

VISHWANATH ANAND,
Addl. Secretary

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communiicated to all concerned—*As per list attached.*

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

J. C. KALA,
Joint Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION

New Delhi-110 001, the 11th August 1995

RESOLUTION

No. 4-23/84-MY(I&P) Vol-II.—In continuation of the Department of Agriculture & Cooperation's Resolution of even No. dated the 24th May, 1994. the Government of India appoints the followings as Non-official members on the Central Agricultural Machinery & Implements Development Council with immediate effect till 23rd May, 1997.

(i) Shri Mir Singh Choudhary,
near Tambi Petrol Pump.
Sikar Road No. 1,
Jaipur-302013 (Rajasthan)

(ii) Shri Mahendra Shastri,
40 Moti Doongri,
Alwar (Rajasthan)

2. T.A. and D.A. to S/Shri Mir Singh Choudhary and Mahendra Shastri shall be paid as for Group 'A' Officers from out of the budget provisions of the Department of Agri. & Cooperation.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories and the Departments of the Ministries of Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. MALHOTRA,
Joint Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

DEPARTMENT OF CULTURE

New Delhi, the 24th August 1995

RESOLUTION

Subject : Setting up of an Expert Committee for the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Calcutta Notification—reg.

No. 1-27-22/94-Lib. I.—The time for submission of the Report by the Committee is hereby extending till 30th September, 1995.

ASHOK VAJPEYI,
Under Secy.

New Delhi, the August, 1995

RESOLUTION

No. F. 23-2/95-96-CDN.—The President is pleased to reconstitute the existing Expert Committee on implementation of the plan scheme "Financial Assistance for Preservation and Development of Cultural Heritage of Himalayas", which was constituted vide Resolution No. F. 8-1/91-CSU, dated 31st October, 1991, with immediate effect to advise the Government within its terms of reference.

2. The Composition of this Re-constituted Committee will now be as under :

Chairperson

1. Smt. Komal Anand,
Joint Secretary,
Deptt. of Culture

Members

2. Shri P. K. Bhattacharya,
Director,
Eastern Zonal Cultural Centre,
2, Larkin Lane,
Calcutta-700 062 (WB).

3. Shri S. K. Ahluwalia,
Director,
North Zone Cultural Centre,
Sheesh Mahal.
Patiala-147 001 (Punjab).

4. Shri J. P. Rai,
Director,
North Central Zone Cultural Centre,
14, C.S.P. Singh Road.
Allahabad-211 001 (U.P.).

5. Shri V. C. Ohri,
Ex-Director,
Himachal Pradesh Museum,
Simla (H.P.).

6. Shri Mohan Upreti,
Parvatiya Kala Kendra,
110, Asia House,
New Delhi.

7. Shri M. C. Joshi,
Director (Finance),
Department of Culture.

8. Smt. Janak Nanda,
S-174, Panchsheel Park,
New Delhi-110 017.

9. Shri Paramjit Singh,
G-1341, Chitranjan Park,
New Delhi.

Member-Secretary

10. Shri Ravi Kant Chopra,
Director,
Department of Culture.

3. The terms of reference of the Committee will be as under :

"To advice the Government on the implementation of the Central Scheme of Financial Assistance to Voluntary Cultural Organisations, Institutions, Societies, Universities, Colleges, Individuals for the Preservation and Development of Cultural Heritage of the Himalayas".

4. The term of the office of the non-official members will be for period of 2 years in the first instance.

5. The Committee will hold its meetings as often as necessary.

6. T.A. and D.A. to non-official members for attending the meetings of the Committee shall be regulated in accordance with the provisions of S.R. 190 and orders of the Government of India thereunder as issued from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of the Notification be communicated to all State Governments/Union Territories and that the Notification may be published in the Gazette of India for general information.

KOMAL ANAND,
Joint Secy.

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 4th September 1995

No. F. 8-133/93-TD-1/TS-II.—It has been decided to transfer the Regional Offices of the Ministry of Human Resource Development, Department of Education, located at Madras, Bombay, Calcutta and Kanpur with all the assets, to the All India Council for Technical Education, New Delhi, a Statutory Autonomous Organisation of Ministry of Human Resource Development (Department of Education) with effect from 1st October, 1995.

The transfer and other service conditions of the Staff working in these Regional Offices would be governed by the instructions issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India from time to time.

A Committee consisting of (i) Secretary, All India Council for Technical Education, (ii) Deputy Education Adviser (T), Ministry of Human Resource Development, and (iii) a representative of Integrated Finance Division (Ministry of Human Resource Development) will prepare the list of assets in each Regional Office by 30-9-1995 and Government decision for transferring assets to AICTE will be issued separately.

PROF. D. P. AGRAWAL,
Joint Educational Adviser (T)

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi-3, the 24th August 1995

RESOLUTION

No. 47/6/89-FC/JRC/1762.—Sub-Para-2 of this Ministry's Resolution No. FC-47/2/72, dated 18th April, 1972, constituting the Ganga Flood Control Board as amended from time to time, the last amendment issued, vide Resolution No. 47/16/78-FC, dated 31-10-90—may be substituted with the following sub-paras :—

Chairman

1. Union Minister of Water Resources

Member

(*Chairman in the absence of Union Minister of Water Resources*)

2. Union Minister of State for Water Resources.

Members

3. Union Minister of Finance or his representative.
4. Union Minister of Surface Transport or his representative.
5. Union Minister of Railways or his representative.
6. Union Minister of Agriculture or his representative.
7. Member, Planning Commission.
8. Chief Minister of Bihar or his representative.
9. Chief Minister of U.P. or his representative.
10. Chief Minister of West Bengal or his representative.
11. Chief Minister of Haryana or his representative.
12. Chief Minister of Rajasthan or his representative.
13. Chief Minister of Madhya Pradesh or his representative.
14. Chief Minister of Himachal Pradesh or his representative.
15. Chief Minister of Delhi or his representative.

Member-Secretary

16. Chairman, Ganga Flood Control Commission.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the State Governments of Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Himachal Pradesh and Delhi, and to the Union Minister, of Finance, Planning, Railways, Agriculture, Surface Transport, Planning Commission, Prime Minister's Office, Secretary to the President of India, Military Secretary to the President of India and Comptroller and Auditor General of India.

R. S. PRASAD,
Commissioner (ER)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1995
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published in the Controller of Publications Delhi, 1995